

फा. सं.- ए-60011/17/2017-आरटीआई प्रकोष्ठ(प्रशा.)

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली-110069

दिनांक: 19th अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पारदर्शिता अधिकारी।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 05-2017 के समसंख्यक इस कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग के पारदर्शिता अधिकारी का विवरण निम्नवत पढ़ा जाए:-

संयुक्त सचिव(प्रशासन)
संघ लोक सेवा आयोग
कमरा सं. 409-एएसबी, धौलपुर हाउस,
शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069
दूरभाष सं. 23386979.

2. पूर्वगामी से जारी रखते हुए, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा कि पहले निर्णय लिया गया है, पारदर्शिता अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- i. जन प्राधिकारियों द्वारा धारा 4 के दायित्वों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना, तथा इसकी प्रगति के शीर्ष प्रबंधन को अनुमोदित करना।
- ii. (i) की प्रगति के संबंध में सीआईसी के लिए इंटरफेस होना।
- iii. सीपीआईओ, डीमड-सीपीआईओ द्वारा आरटीआई आवेदनों का सकारात्मक तथा समय पर उत्तर देने संबंधी अनुकूल शर्तों को बढ़ावा देने में सहायता करना।
- iv. सभी आरटीआई मामलों में जन साधारण के लिए संपर्क बिन्दु होना।

(नूतन तोपनौ)
अवर सचिव(का. एवं प्र.)

सेवा में,
सचिव,
केंद्रीय सूचना आयोग,
सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली-110067

